17/4/26 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि एक दावा अंतर्गत धारा 53 अंतर्गत काश्तकारी अधिनियम पेश किया जाकर आ. ख. नं. 42, 47 वाके कस्बा करौली का बंटवारा बाबत पेश किया। प्रकरण में जवाब तलब किया जाकर साक्ष्य सबूत लिये गए। प्रकरण में उभयपक्ष बहस के पश्चात प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजित प्रस्ताव TDR करौली से मांगे गए। TDR करौली ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि विवादित खसरा नम्बरान की नक्शा और कटी-फटी व जीर्ण-शीर्ण है। इस कारण विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किए जा सकते। रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने पुनः बंटवारा स्कीम तलब करने बाबत प्र. पत्र भी पेश किया परंतु जब नक्शा और ही कटी-फटी व जीर्ण-शीर्ण है तो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है इस कारण TDR करौली की रिपोर्ट के आधार पर नक्शा और कटी-फटी व जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उक्त दावा धारा 151 CPC के अंतर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)